पशु आहार निर्माण शाला, रूद्रपुर

किच्छा बाईपास रोड, रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर) फोन नं: 05944-242552 ई-मेल: aanchalcattlefeed@gmail.com

पत्रांक : 2803-06/निविदा सूचना/2023-24 दिनांक: 02 फरवरी, 2024

ई-प्रोक्योरमैन्ट नोटिस

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना संख्या-34/Bhusa/DDGS/CFP/2023-24, Date - 03.02.2024

निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा के द्वारा Two Bid System के अर्न्तगत पशु आहार निमार्णशाला रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) में काम्पैक्ट फीड ब्लाक (100% गेंहू का भूसा), निर्माता फर्मो व डी0डी0जी0एस0 (राईस बेस) आपूर्तिकर्ताओं/निर्माता फर्मों से क्रय करने हेतु दिनांक **12.02.2024** के सांय **05.00** बजे तक पुनः अल्पकालिक ई-निविदा आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक **13.02.2024** की प्रातः **11.00** बजे यू0सी0डी0एफ0 कार्यालय मंगल पड़ाव हल्द्वानी में खोली जायेगी।

क्र. सं.	विवरण	कुल मात्रा Qtl.	धरोहर धनराशि ₹	निविदा शुल्क GST सहित ₹	आपूर्ति शैड्यूल
01	काम्पैक्ट फीड ब्लाक 100% गेंहू का भूसा (25-30 कि0ग्रा0 पैक)	**7000**	1,54,000	4720	निविदा प्रपत्र के अनुसार
02	डी0डी0जी0एस0 (राईस बेस)	**2500**	1,45,000	4720	

नोट- निविदा की शर्ते तथा उपलब्धता एवं प्रस्तुतिकरण का तरीका-

निविदा प्रपत्रों का मूल्य उपरोक्त तालिका के अनुसार जी.एस.टी. सहित, निविदा प्रपत्र Online Internet की वेबसाइट **uktenders.gov.in** पर दिनांक 03.02.2024 से उपलब्ध है, तथा यही से Download एवं Upload किये जा सकते हैं। ई-निविदा से सम्बन्धित अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं।

सामान्य प्रबन्धक

फॉर्म नंबर INC-19
सूचना
[नियम 22(1) के अनुसार कंपनी (निगमन) नियम, 2014]

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 8(4)(ii) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (निगमन) के नियम 21, 22 और 23 के साथ पढ़ी जाती है और किसी अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 8 के तहत प्राप्त लाइसेंस (लाइसेंस संख्या 106118), को सरेंडर करने के लिए ई-फॉर्म आईएनसी-18 के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली को एक आवेदन किया गया है, एक्सटोल कल्याण संस्थान (CIN: U74900DL2015NPL288087) द्वारा कंपनी को 'प्राइवेट लिमिटेड 'में परिवर्तित करने के लिए।

1. लाइसेंस सरेंडर करने के बाद कंपनी के प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. भारत में या अन्यत्र व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए निर्माण, प्रसंस्करण, उत्पादन, पैक, दोबारा पैक करना, जोड़ना, हटाना, ग्रेड करना, कम करना, सुधार करना, खरीदना, बेचना, फिर से बेचना, आयात, निर्यात, विकास, डिजाइन, बाजार, खरीद, मुद्रण, आपूर्ति, कार्य करना और एजेंट, दलाल, प्रतिनिधि, सलाहकार, सहयोगी, खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करना या अन्यथा सभी आकार, आकार, विवरण, अनुप्रयोगों, तौर-तरीकों, विशिष्टताओं, डिजाइनों, किस्मों और सभी प्रकार की स्टेशनरी और मुद्रण में सौदा करना। सामग्री, उत्पाद जैसे लेखन स्याही, मुद्रण स्याही, स्याही अर्क, स्याही पाउडर, स्याही गोलियाँ, अंकन स्याही, ड्राइंग स्याही, लिथोग्राफिक स्याही, चिपकने वाले, स्टिकर, मुद्रांकन पेस्ट, सीलिंग मोम, क्रेयॉन और चाक, कार्बन पेपर, रिबन, ड्राइंग पेस्टल, पेंसिल, बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन, निब, रिफिल, पेन-होल्डर, शार्पनर, इरेज़र, पेपर बॉक्स, पेपर फाइल, बॉक्स फाइल, स्टांप पैड, पिन कुशन, फुट नियम, कंपास, ज्यामितीय उपकरण, लिफाफे, खाता किताबें, रबर, स्टेपलर, स्टेपल पिन, यू-पिन, टैग, फ़ोल्डर, हाइलाइटर, ब्लैक बोर्ड, नोट बुक, अभ्यास पुस्तकें, लेखन पैड, कंप्यूटर स्टेशनरी, रंग और छात्रों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य समान वस्तुएं।

कोई भी व्यक्ति जिसके हित कंपनी के लाइसेंस को सरेंडर करने से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के भीतर क्षेत्रीय निदेशक को बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर तथा एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को ए-213, ख, नंबर 256/4, जी/एफ चंदर विहार, मंडावली न्यू पर भेजी जाएगी दिल्ली-110092 पर, अपने हित और विरोध के आधार की प्रकृति को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति को स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है।

निदेशक
एक्सटोल कल्याण संस्थान
विनीता रंजीत
निदेशक,DIN-08375656

दिनांक: 03-02-2024
स्थान: दिल्ली

फॉर्म नंबर INC-19
सूचना
[नियम 22(1) के अनुसार कंपनी (निगमन) नियम, 2014]

आम जनता को सूचना दी जाती है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 8(4)(ii) के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी (निगमन) के नियम 21, 22 और 23 के साथ पढ़ी जाती है और किसी अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो, कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 8 के तहत प्राप्त लाइसेंस (लाइसेंस संख्या **106120**), को सरेंडर करने के लिए ई-फॉर्म आईएनसी-18 के माध्यम से क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली को एक आवेदन किया गया है, संसार कल्याण फाउंडेशन (CIN U74900DL2015NPL288138) द्वारा कंपनी को 'प्राइवेट लिमिटेड 'में परिवर्तित करने के लिए।

1. लाइसेंस सरेंडर करने के बाद कंपनी के प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. भारत में या अन्यत्र व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए निर्माण, प्रसंस्करण, उत्पादन, पैक, दोबारा पैक करना, जोड़ना, हटाना, ग्रेड करना, कम करना, सुधार करना, खरीदना, बेचना, फिर से बेचना, आयात, निर्यात, विकास, डिजाइन, बाजार, खरीद, मुद्रण, आपूर्ति, कार्य करना और एजेंट, दलाल, प्रतिनिधि, सलाहकार, सहयोगी, खुदरा विक्रेता के रूप में कार्य करना या अन्यथा सभी आकार, आकार, विवरण, अनुप्रयोगों, तौर-तरीकों, विशिष्टताओं, डिजाइनों, किस्मों और सभी प्रकार की स्टेशनरी और मुद्रण में सौदा करना। सामग्री, उत्पाद जैसे लेखन स्याही, मुद्रण स्याही, स्याही अर्क, स्याही पाउडर, स्याही गोलियाँ, अंकन स्याही, ड्राइंग स्याही, लिथोग्राफिक स्याही, चिपकने वाले, स्टिकर, मुद्रांकन पेस्ट, सीलिंग मोम, क्रेयॉन और चाक, कार्बन पेपर, रिबन, ड्राइंग पेस्टल, पेंसिल, बॉल पेन, जेल पेन, फाउंटेन पेन, निब, रिफिल, पेन-होल्डर, शार्पनर, इरेज़र, पेपर बॉक्स, पेपर फाइल, बॉक्स फाइल, स्टांप पैड, पिन कुशन, फुट नियम, कंपास, ज्यामितीय उपकरण, लिफाफे, खाता किताबें, रबर, स्टेपलर, स्टेपल पिन, यू-पिन, टैग, फ़ोल्डर, हाइलाइटर, ब्लैक बोर्ड, नोट बुक, अभ्यास पुस्तकें, लेखन पैड, कंप्यूटर स्टेशनरी, रंग और छात्रों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य समान वस्तुएं।

कोई भी व्यक्ति जिसके हित कंपनी के लाइसेंस को सरेंडर करने से प्रभावित होने की संभावना है, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 10 दिन के भीतर क्षेत्रीय निदेशक को बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर तथा एक प्रति आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को ए-213, ख, नंबर 256/4, जी/एफ चंदर विहार, मंडावली न्यू पर भेजी जाएगी दिल्ली-110092 पर, अपने हित और विरोध के आधार की प्रकृति को बताते हुए हलफनामे द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति को स्वयं अथवा किसी अन्य के माध्यम से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित कर सकता है।

निदेशक
संसार कल्याण फाउंडेशन
कल्पना शर्मा
निदेशक,**DIN-06368565**

दिनांक: 03-02-2024
स्थान: दिल्ली

श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SHRIRAM HOUSING FINANCE

पंजीकृत कार्यालय : कार्यालय सं. 123, अनगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600 001.
शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 245 एवं 246, दूसरा तल, ओसवाल टॉवर, हनुमान नगर-डी, अम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021
वेबसाइट : www.shriramhousing.in

कब्ज़ा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसएचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं। कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि एसएचएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 30 जनवरी, 2024 को **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम एवं पता	माँग सूचना के अनुसार राशि
श्रीमती साहिबा मेहता पत्नी श्री अनुज लोढ़ा, श्री अनुज लोढ़ा पुत्र श्री नरेंद्र लोढ़ा, पता:- प्लॉट नंबर-163, गिरनार कॉलोनी, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर राजस्थान-302021 सांकेतिक कब्ज़ा: 30-01-2024	16.11.2023 ऋण खाते **SHLHJIPR0001510** में रु. 22,86,305/-, और ऋण खाते **STUHJIPR0001825** में रु. 12,29,127/- रुपये - (दोनों खातों में कुल) रु. 35,15,432/- (रुपये पैंतीस लाख पंद्रह हजार चार सौ बत्तीस मात्र) 10.11.2023 को देय और बकाया तथा यहां उल्लिखित भावी ब्याज और आकस्मिक खर्च, लागत आदि।

बंधक सम्पत्ति का विवरण

परिसर यूनिट/फ्लैट नंबर-601 का समस्त भाग, ब्लॉक-ए, छठी मंजिल, स्क्वायर आर्केड, ग्रुप हाउसिंग प्लॉट, खसरा नंबर 537 और 541/2, ग्राम-बास भांकरोटा, जयसिंहपुरा, अजमेर रोड, तहसील-सांगानेर, जयपुर राजस्थान-303006.
माप: -1717.89 वर्ग फीट (सुपर बिल्ड-अप एरिया)।
सीमाएं: पूर्व: सेक्टर रोड, पश्चिम: अन्य भूमि, उत्तर: अन्य भूमि दक्षिण: सेक्टर रोड

एतद्वारा यह सूचना व्यापक रूप से जनसामान्य को चेतावनी भी है कि एसएचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों के विधिक सांकेतिक कब्जेदार हैं और कर्जदार अथवा कोई भी व्यक्ति इस सूचना में सन्दर्भित उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों में किसी भी अंश को बिक्री, पट्टे अथवा अन्य संव्यवहार/हस्तान्तरण द्वारा इस सूचना की प्राप्ति के पश्चात एसएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

स्थान : जयपुर (राजस्थान) **ह./-अधिकृत प्राधिकारी**
तिथि : 30.01.2024 **श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI

सेक्टर 40, गुड़गांव शाखा:- डीएसएस 84-85, हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव, हरियाणा-122003, फोन : 0124-2581381 / 4074518, ईमेल आईडी - gurgaonsector40.chendigarh@bankofindia.co.in

कंपनी के साथ-साथ संबंधित पक्षों को भी विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है

निम्नलिखित उधारकर्ता इकाई ने दिनांक **21.08.2012** को **बैंक ऑफ इंडिया की गुड़गांव सेक्टर 40 शाखा** से **रूपये 50.00 लाख** के संपत्ति ऋण पर ऋण लिया है। उन्होंने बैंक को भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्व को पूरा करने में चूक की है और इरादतन दिनांक **01.07.2016** को विलफुल डिफॉल्टरों की घोषणा पर आरबीआई मास्टर परिपत्र के अनुसार विलफुल डिफॉल्ट के कृत्य भी किए हैं। इसलिए बैंक ने **14.12.2023** को निम्नलिखित उधारकर्ता इकाई और संबंधित पक्षों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया है और उनका विवरण आरबीआई दिशानिर्देश के अनुसार क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ साझा किया गया है।

(अ) उधारकर्ता(ओं) का नाम : श्री दीपक कुमार शर्मा और श्रीमती अनुराधा शर्मा
कार्यालय पता : दिनांक **01.02.2024** तक संविदात्मक ब्याज के साथ बकाया ऋण राशि **रू 45,64,059.18/- (रूपये पैंतालीस लाख चौंसठ हजार उनसठ और अठ्ठारह पैसा मात्र)** प्लस उस पर **30.06.2016** (एनपीए दिनांक) ब्याज।

(ब) उधार लेने वाली इकाई के प्रमोटर/डायरेक्टर/गारंटर :

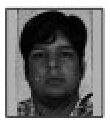

नाम : दीपक कुमार शर्मा
उधारकर्ता इकाई में पदनाम : उधारकर्ता
पता 1 : सी-262, मेफिल्ड गार्डन, सेक्टर 50, गुड़गांव-122018
पता 2 : म. सं. 1038/27, कृष्णा कॉलोनी, गुड़गांव- 122001

नाम : अनुराधा शर्मा पत्नी दीपक कुमार शर्मा
उधारकर्ता इकाई में पदनाम : सह-उधारकर्ता
पता 1 : सी-262, मेफिल्ड गार्डन, सेक्टर 50, गुड़गांव-122018
पता 2 : म. सं. 1038/27, कृष्णा कॉलोनी, गुड़गांव- 122001

दिनांक : 02.02.2024 **स्थान :** गुड़गांव **प्राधिकृत अधिकारी**

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रभजीत सिंह ने क्षेत्रफल 100 वर्ग गज निर्मित भूमि वाली संपत्ति खरीदने के लिए गृह ऋण के लिए आवेदन किया है, खसरा नंबर 474, नंबर सी-150, चौड़ा गुजरान खादर में स्थित, मेन थाना रोड भजनपुरा इलाका, शाहदरा, दिल्ली-110053 की आबादी में है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा अपने अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री रविंदरजीत सिंह के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले विक्रय विलेख के अधीन,शिरोमणि गुरुद्वारा द्वारा [illegible] राजीव सहाय [illegible] द्वारा पारित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनाम राज्य नामक टेस्ट केस नंबर 31/1994 में दिनांक 12/04/18 के फैसले के तहत अधिग्रहण किया गया। श्री प्रभजीत सिंह उपरोक्त संपत्ति के बदले केटबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पास गिरवी रखना चाहता है। किसी को भी इस पर कोई आपत्ति है केवल 7 दिनों (प्रकाशन दिवस सहित) के भीतर विशिष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकता है अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है।

वरुण फोगाट (एडवोकेट)
72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर,
सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029
(07982557892) (varunphogaat@gmail.com)

RELIANCE
Asset Reconstruction

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, नॉर्थ साइड, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना [नियम 8(6) के साथ पठित नियम 6(2) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/दृष्टिबंधककृत नीचे वर्णित अचल/चल संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है।

कि, [illegible] ने दिनांक 29.03.2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के तहत **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी), आरएआरसी 088 ([illegible]) ट्रस्ट के ट्रस्टी**, के पक्ष में अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ-साथ आपके ऋण खातों की वित्तीय परिसंपत्तियों/ऋणों को इसके अधिकार, स्वामित्व और हितों के साथ सौंप दिया है। उक्त असाइनमेंट के आधार पर, हम आपके प्रतिभूत ऋणदाता बन गए हैं और विधिक रूप से संपूर्ण संविदागत बकाया राशियां वसूल करने के अधिकारी हो गये हैं।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा आपको 15 दिवसीय सूचना देते हैं कि निम्न वर्णित बंधककृत संपत्तियों को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जहां जो कुछ भी है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 01.03.2024 को बेचा जाएगा। यह बिक्री, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं की ओर से **आरएआरसी 088 ([illegible]) ट्रस्ट के एक ट्रस्टी** के रूप में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को देय [illegible] धारा 13(2) के तहत निर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि और भावी ब्याज व लागत की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य और बयाना जमा (ईएमडी) निम्नानुसार है :

बंधककृत संपत्ति का विवरण :

क्र. सं.	उधारकर्ताओं के नाम, संपत्ति विवरण, मांग सूचना तथा अधिग्रहण तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी
1.	**सावन कुमार पुत्र बहादुर सिंह, रीता कुमारी, शांति देवी और मुकेश कुमार, सभी निवासी** खसरा नंबर 518, गांव [illegible], भारत सिटी के पास, नर्सरी वाली गली, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201005, **अन्य पता :** सावन ट्रेवल्स, एन-29/ए, दिलशाद गार्डन, दिल्ली-110095 **संपत्ति :** खसरा नंबर 518 ग्राम [illegible], परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, यूपी उत्तर प्रदेश - 201005 में आवासीय खाली प्लॉट एरिया लगभग 43 वर्ग गज यानी 35.95 वर्ग मीटर की संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश। **मांग सूचना :** रु. 5,19,160.82/- (रुपये पांच लाख उन्नीस हजार एक सौ साठ एवं बयासी पैसे मात्र) 17.06.2021 के अनुसार, साथ में भावी ब्याज और लागतें। **रचनात्मक/भौतिक अधिग्रहण तिथि : 28-08-2023**	आरक्षित मूल्य रु. 5,92,470/- ईएमडी रु. 59,247/-
2.	**धर्मेंद्र गोपीराम पुत्र गोपीराम, सतबीर सिंह पुत्र गोपी राम और सरिता देवी पत्नी धर्मेंद्र, सभी निवासी :** 76 गांव [illegible] माजरा बुराड़ी दिल्ली-110084, **अन्य पता :** धर्मेंद्र डेयरी, 76 गांव [illegible] माजरा बुराड़ी दिल्ली-110084 **संपत्ति :** संपत्ति का वह सारा भाग एवं अंश जिसमें दो मंजिला निर्मित संपत्ति है, जिसका क्षेत्रफल 45 वर्ग गज, (यानी 37.63 वर्ग मीटर) है, जो छत अधिकारों तक छतअधिकारों के साथ, 100 वर्ग गज माप के कुल क्षेत्रफल में से, खसरा नं. 40 का हिस्सा, गांव [illegible] माजरा बुराड़ी दिल्ली-110084 की आबादी/लाल डोरा में स्थित है। सीमाएं निम्नानुसार हैं : उत्तर : अमर की संपत्ति, दक्षिण : सड़क, पूर्व : सुंदर की संपत्ति, पश्चिम : शेष सड़क। **मांग सूचना :** रु. 17,71,114.7/- (रुपये सत्रह लाख इकहत्तर हजार एक सौ चौदह एवं सत्तर पैसे मात्र) 21.04.2021 के अनुसार, साथ में भावी ब्याज और लागतें। **रचनात्मक/भौतिक अधिग्रहण तिथि : 17.08.2022**	आरक्षित मूल्य रु. 11,62,261/- ईएमडी रु. 1,16,226/-

संपत्ति का निरीक्षण : 28.02.2024 को मध्या. 11.00 से अपराह्न 02.00 बजे तक
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 29.02.2024 को सायं 5.00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि : 01.03.2024 को मध्या. 11.00 से अप. 1 बजे के मध्य 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार सहित

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें :

1. संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी और बिक्री एक प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में आरएआरसी द्वारा पुष्टिकरण के अधीन है।
2. ई-नीलामी **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** पता : प्लॉट नंबर 68 गुड़गांव हरियाणा पिन कोड 122003 के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जायेगी।
3. ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, इच्छुक बोलीदाताओं को एक वैध ई-मेल आईडी रखनी चाहिये और उन्हें पोर्टल **www.bankeauctions.com** पर अपने नाम पंजीकृत करने चाहिये और मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने चाहिये।
4. संभावित बोलीदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (संपर्क व्यक्ति : श्री धारनी कृष्णा मोबाइल +91 9948182222 पर, Delhi@c1india.com या Support@bankeauctions.com (हेल्पलाइन नंबर 7291981124, 25, 26)** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. बयाना राशि जमा (ईएमडी) का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से धन अंतरण का चालू खाता संख्या [illegible] में, बैंक का नाम : **आईसीआईसीआई बैंक,** शाखा : [illegible] शाखा मुंबई, 400028, लाभार्थी का नाम : **आरएआरसी 088 ([illegible]) ट्रस्ट,** आईएफएससी कोड : [illegible] द्वारा जमा कर किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. आरक्षित मूल्य से कम की और/या बिना ईएमडी राशि के बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता अपनी आगे की बोली राशि को रु. 5000 प्रति लॉट के गुणक में बढ़ा सकते हैं।
7. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा के तुरंत बाद बोली राशि/बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) की 25 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा की तिथि से 15 दिनों के भीतर बोली राशि/बिक्री मूल्य की शेष 75 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी।
8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त वर्णितानुसार बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है तो ईएमडी सहित सभी जमा राशियां जब्त कर ली जाएंगी।
9. सात दिनों के भीतर ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियां समाप्त होने के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार वर्णित किये गये हैं। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण विवरण या चूक इत्यादि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये या बिना कोई भी कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को स्थगित/निरस्त/समाप्त करने या बिक्री के किसी नियम एवं शर्त को संशोधित करने का पूर्णाधिकार तथा विवेकाधिकार है।
12. बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति पर बकाया शुल्कों/ऋणभारों/सांविधिक देयताओं के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ कर लेनी चाहिए और संपत्ति के स्वामित्व, सीमा, विस्तार, गुणवत्ता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद संपत्ति के शुल्कों, ऋणभारों और किसी भी अन्य प्रकरण इत्यादि के संबंध में प्रस्तुत किसी भी प्रकार के किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना की तिथि के अनुसार संपत्तियों पर निहित किसी भी ऋणभार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
14. संपत्ति की बिक्री पर देय स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क सहित संपत्ति पर बकाया किसी भी प्रकार, सेवा, कर, वैट, टीडीएस, जीएसटी, शुल्क चाहे फिर वह सांविधिक हो या अन्यथा, उसका भुगतान केवल क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया 18001038711 / 18002664111 / 18003098711 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक सूचना

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ उपरोक्त उल्लेखानुसार राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर ऊपर उल्लिखित बंधककृत संपत्ति की ई-नीलामी की जायेगी तथा शेष बकाया राशियां, यदि कोई शेष बचती हैं, ब्याज/लागत सहित वसूल की जायेंगी। यदि नीलामी के लिये निर्धारित तिथि पर नीलामी बिक्री में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी संभावित क्रेता को ऊपर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर निजी संधि के माध्यम से इस संपत्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं से आह्वान किया जाता है कि वे, इस सूचना की तिथि से 7 (सात) दिनों के अंदर, बंधककृत संपत्ति का अधिग्रहण लिये जाने के समय पर तैयार किये गये पंचनामा/वस्तु सूची प्रतिवेदन के अनुसार, पुनःअधिग्रहीत संपत्ति पर पर **पड़ी हुई समस्त घरेलू वस्तुओं/व्यक्तिगत सामान, यदि कोई है, को स्थानांतरित कर लें/हटा लें।** इस सूचना की तिथि से 7 (सात) दिनों की अनुमोदित अवधि के अंदर घरेलू वस्तुओं/व्यक्तिगत सामान को स्थानांतरित करने में विफल रहने पर, कंपनी, उन्हें/उसे उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं के जोखिम, उत्तरदायित्वों एवं लागत पर "जैसी है जहां है, जैसी है जो है तथा जहां जो कुछ भी है आधार" पर हटाने/स्थानांतरित करने/निस्तारित करने के लिए बाध्य होगी। कंपनी, इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी दावे के लिये उत्तरदायी नहीं होगी।

प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : दिल्ली, दिनांक : 03-02-2024 कृते रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणी : सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के अंतर्गत मांग सूचना के निर्गमन के पश्चात् पुनःप्राप्त राशि, यदि कोई, की संगणना वसूलीकरण/समायोजन के समय पर पुनःसमायोज्य बकाया राशियां सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी।

RELIANCE
Asset Reconstruction

रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, नॉर्थ साइड, आर-टेक पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई-400063

प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए सूचना [नियम 8(6) के साथ पठित नियम 6(2) देखें]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/दृष्टिबंधककृत नीचे वर्णित अचल/चल संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया है।

कि, [illegible] ने दिनांक 29.03.2023 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के तहत **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी), आरएआरसी 088 ([illegible]) ट्रस्ट के ट्रस्टी**, के पक्ष में अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ-साथ आपके ऋण खातों की वित्तीय परिसंपत्तियों/ऋणों को इसके अधिकार, स्वामित्व और हितों के साथ सौंप दिया है। उक्त असाइनमेंट के आधार पर, हम आपके प्रतिभूत ऋणदाता बन गए हैं और विधिक रूप से संपूर्ण संविदागत बकाया राशियां वसूल करने के अधिकारी हो गये हैं।

अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा आपको 15 दिवसीय सूचना देते हैं कि निम्न वर्णित बंधककृत संपत्तियों को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जहां जो कुछ भी है" आधार पर ई-नीलामी के माध्यम से 01.03.2024 को बेचा जाएगा। यह बिक्री, निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं की ओर से **रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (आरएआरसी), आरएआरसी 088 ([illegible]) ट्रस्ट के एक ट्रस्टी** के रूप में रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को देय [illegible] धारा 13(2) के तहत निर्गत मांग सूचना में उल्लिखित राशि और भावी ब्याज व लागत की वसूली के लिये किया जायेगा। आरक्षित मूल्य और बयाना जमा (ईएमडी) निम्नानुसार है :

बंधककृत संपत्ति का विवरण :

क्र. सं.	उधारकर्ताओं के नाम, संपत्ति विवरण, मांग सूचना तथा अधिग्रहण तिथि	आरक्षित मूल्य ईएमडी
1.	**सतीश कुमार शर्मा पुत्र छोटे लाल शर्मा और रेखा गौड़ पत्नी सतीश कुमार शर्मा, दोनों निवासी** 148, [illegible], गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001, **अन्य पता :** फ्लैट खसरा नंबर 380, दूसरी मंजिल, गांव इंदरगढ़ी, परगना और तहसील डासना, जिला गाजियाबाद में स्थित। **संपत्ति :** खसरा नंबर 380 का समस्त भाग तथा अंश, जो दूसरी मंजिल, ग्राम इंदरगढ़ी, परगना और तहसील डासना, जिला गाजियाबाद में स्थित है (अधिमापन लगभग 65 वर्ग मीटर) **मांग सूचना :** रु. 18,39,125.14/- (रुपये अठारह लाख उनतालिस हजार एक सौ पच्चीस और चौदह पैसे मात्र) 09.03.2018 के अनुसार, साथ में भावी ब्याज और लागतें। **रचनात्मक/भौतिक अधिग्रहण तिथि : 30.09.2021**	आरक्षित मूल्य रु. 6,21,345/- ईएमडी रु. 62,134/-
2.	**शिव विश्वास पुत्र कृष्ण धन विश्वास और सोमा विश्वास पत्नी शिव विश्वास, दोनों निवासी :** द्वारा नवीन कुमार मंडी वाली गली सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301, **अन्य पता :** फ्लैट नं. जी-1, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 112, खसरा नंबर 406, 407, 410, बरौला, सेक्टर-49, जिला, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। **संपत्ति :** फ्लैट नंबर जी-1 के समस्त भाग तथा अंश, जो प्लॉट नं.-112 पर निर्मित भू तल, खाता नंबर 129 और खसरा नंबर-406, ग्राम बरौला सेक्टर-49, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. (अधिमापन लगभग 620 वर्ग फुट अर्थात् 57.620 वर्ग मीटर)। **मांग सूचना :** रु. 14,73,580.08/- (रुपये चौदह लाख तिहत्तर हजार पांच सौ अस्सी एवं आठ पैसे मात्र) 14.09.2017 के अनुसार साथ में भावी ब्याज और लागतें। **रचनात्मक/भौतिक अधिग्रहण तिथि : 21.07.2023**	आरक्षित मूल्य रु. 14,01,138/- ईएमडी रु. 1,40,114/-

संपत्ति का निरीक्षण : 28.02.2024 को मध्या. 11.00 से अपराह्न 02.00 बजे तक
बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 29.02.2024 को मध्या. 11.00 बजे तक
ई-नीलामी की तिथि : 01.03.2024 को दोप. 12.00 से अप. 2.00 बजे के मध्य 5 मिनट प्रत्येक के विस्तार सहित

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें :

1. संपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी और बिक्री एक प्रतिभूत ऋणदाता के रूप में आरएआरसी द्वारा पुष्टिकरण के अधीन है।
2. ई-नीलामी **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,** पता : प्लॉट नंबर 68 गुड़गांव हरियाणा पिन कोड 122003 के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जायेगी।
3. ई-नीलामी में भाग लेने से पहले, इच्छुक बोलीदाताओं को एक वैध ई-मेल आईडी रखनी चाहिये और उन्हें पोर्टल **www.bankeauctions.com** पर अपने नाम पंजीकृत करने चाहिये और मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से अपने यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने चाहिये।
4. संभावित बोलीदाता **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, (संपर्क व्यक्ति : श्री धारनी कृष्णा मोबाइल +91 9948182222 पर, Delhi@c1india.com या Support@bankeauctions.com (हेल्पलाइन नंबर 7291981124, 25, 26)** से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
5. बयाना राशि जमा (ईएमडी) का भुगतान आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से धन अंतरण का चालू खाता संख्या [illegible] में, बैंक का नाम : **आईसीआईसीआई बैंक,** शाखा : [illegible] शाखा मुंबई, 400028, लाभार्थी का नाम : **आरएआरसी 088 ([illegible]) ट्रस्ट,** आईएफएससी कोड : [illegible] द्वारा जमा कर किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें ईएमडी के लिए चेक/डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. आरक्षित मूल्य से कम की और/या बिना ईएमडी राशि के बोलियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता अपनी आगे की बोली राशि को रु. 5000 प्रति लॉट के गुणक में बढ़ा सकते हैं।
7. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा के तुरंत बाद बोली राशि/बिक्री मूल्य (ईएमडी सहित) की 25 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा की तिथि से 15 दिनों के भीतर बोली राशि/बिक्री मूल्य की शेष 75 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी।
8. यदि सफल बोलीदाता उपरोक्त वर्णितानुसार बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है तो ईएमडी सहित सभी जमा राशियां जब्त कर ली जाएंगी।
9. सात दिनों के भीतर ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियां समाप्त होने के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
10. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसके सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार वर्णित किये गये हैं। प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण विवरण या चूक इत्यादि के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा।
11. अधोहस्ताक्षरकर्ता के रूप में प्राधिकृत अधिकारी के पास बिना कोई पूर्व सूचना दिये या बिना कोई भी कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिक्री को स्थगित/निरस्त/समाप्त करने या बिक्री के किसी नियम एवं शर्त को संशोधित करने का पूर्णाधिकार तथा विवेकाधिकार है।
12. बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति पर बकाया शुल्कों/ऋणभारों/सांविधिक देयताओं के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ कर लेनी चाहिए और संपत्ति के स्वामित्व, सीमा, विस्तार, गुणवत्ता के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के बाद संपत्ति के शुल्कों, ऋणभारों और किसी भी अन्य प्रकरण इत्यादि के संबंध में प्रस्तुत किसी भी प्रकार के किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।
13. उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, अधोहस्ताक्षरकर्ता को इस सूचना की तिथि के अनुसार संपत्तियों पर निहित किसी भी ऋणभार के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
14. संपत्ति की बिक्री पर देय स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क सहित संपत्ति पर बकाया किसी भी प्रकार, सेवा, कर, वैट, टीडीएस, जीएसटी, शुल्क चाहे फिर वह सांविधिक हो या अन्यथा, उसका भुगतान केवल क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।

किसी भी अन्य जानकारी के लिए कृपया 18001038711 / 18002664111 / 18003098711 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत 15 दिवसीय सांविधिक सूचना

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ उपरोक्त उल्लेखानुसार राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर ऊपर उल्लिखित बंधककृत संपत्ति की ई-नीलामी की जायेगी तथा शेष बकाया राशियां, यदि कोई शेष बचती हैं, ब्याज/लागत सहित वसूल की जायेंगी। यदि नीलामी के लिये निर्धारित तिथि पर नीलामी बिक्री में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी संभावित क्रेता को ऊपर निर्धारित आरक्षित मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर निजी संधि के माध्यम से इस संपत्ति को बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं से आह्वान किया जाता है कि वे, इस सूचना की तिथि से 7 (सात) दिनों के अंदर, बंधककृत संपत्ति का अधिग्रहण लिये जाने के समय पर तैयार किये गये पंचनामा/वस्तु सूची प्रतिवेदन के अनुसार, पुनःअधिग्रहीत संपत्ति पर पर **पड़ी हुई समस्त घरेलू वस्तुओं/व्यक्तिगत सामान, यदि कोई है, को स्थानांतरित कर लें/हटा लें।** इस सूचना की तिथि से 7 (सात) दिनों की अनुमोदित अवधि के अंदर घरेलू वस्तुओं/व्यक्तिगत सामान को स्थानांतरित करने में विफल रहने पर, कंपनी, उन्हें/उसे उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं के जोखिम, उत्तरदायित्वों एवं लागत पर "जैसी है जहां है, जैसी है जो है तथा जहां जो कुछ भी है आधार" पर हटाने/स्थानांतरित करने/निस्तारित करने के लिए बाध्य होगी। कंपनी, इस संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा उठाए गए किसी भी दावे के लिये उत्तरदायी नहीं होगी।

प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान : दिल्ली, दिनांक : 03-02-2024 कृते रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

टिप्पणी : सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(8) के अंतर्गत मांग सूचना के निर्गमन के पश्चात् पुनःप्राप्त राशि, यदि कोई, की संगणना वसूलीकरण/समायोजन के समय पर पुनःसमायोज्य बकाया राशियां सुनिश्चित करने के लिये की जायेगी।

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

प्रथम तल, यूनिट नं. 103, पी.पी. ट्रेड सेन्टर, प्लॉट नं. 1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 ("सरफासी अधिनियम") के प्रावधानों के तहत अचल परिसंपत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और कर्जदार एवं जमानती(ओं) को सूचित किया जाता है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (प्रत्याभूत ऋणदाता/केएमबीएल) को बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 05.12.2023 को भौतिक कब्जा लिया गया है, **स्काईलैंड बिल्डर्स प्रा. लि.** और अन्य और इसके जमानतियों से केएमबीएल को देय दिनांक 20.06.2023 को रु. 1,23,74,598.68/- (रुपये एक करोड़ तेईस लाख चौहत्तर हजार पाँच सौ अठानवे और अड़सठ पैसा मात्र) और **21.06.2023 से वसूली तक** अनुबंधित दर से आगे की ब्याज, सभी प्रासंगिक लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित वसूली के लिए **"जहाँ है, जो है", "जो है, जैसी है" और "जो भी है"** आधार पर **23.02.2024** को ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री की जायेगी।

आरक्षित मूल्य का विवरण, धरोहर राशि जमा, संपत्ति का विवरण और नीलामी की तिथि नीचे उल्लिखित हैं।

प्लॉट नं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	ईएमडी	ऋण भार
I (जमीन)	अचल संपत्ति भूतल (स्टिल्ट तल के ऊपर), एरिया माप 1991 वर्ग फुट संपत्ति नं. 48/138 पर 1/4 स्टिल्ट एरिया के साथ, प्लॉट एरिया माप 375 वर्ग गज, ई-108 के रूप में ज्ञात, मालचा मार्ग, डिप्लोमेटिक एन्कलेव, नई दिल्ली-110021 के सभी भाग व खंड। सीमाएँ:- उत्तर: अपरोच रोड, दक्षिण: सर्विस रोड, पूर्व: प्लॉट नं. 137, पश्चिम: प्लॉट नं. 139 **बंधककर्ता का नाम: श्री प्रतीक मचान**	रु. 10,83,00,000/-	रु. 1,08,30,000/-	ज्ञात नहीं

साइट पर निरीक्षण:	भौतिक कब्जा
ईएमडी जमा करने और निविदा दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि:	**22.02.2024 को अप. 4 बजे** https://kotakbank.auctiontiger.net **पर**
ई-नीलामी तिथि व समय:	**23.02.2024 को पूर्वा. 11 से अप. 12:00 तक।** **नीलामी का अंतिम समय प्रत्येक बार 5 मिनट बढ़ा दिया जायेगा यदि ई-नीलामी के अंतिम 5 मिनटों में कोई बोली की जाती है।**
बोली वृद्धि राशि:	**रु. 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) या इसके गुणज में**

नीलामी के लिए रखी संपत्तियों के संबंध में, पूर्ण जानकारी और सूचना में कोटक बैंक को किसी अन्य ऋणभार या सांविधिक देयों के बकाया देयों, संपत्ति देयों, भूमि राजस्व या अन्य किसी देय की कोई जानकारी नहीं है। सभी सांविधिक देयों जैसे संपत्ति कर, भूमि राजस्व देय, नगर निगम कर प्रभारों/देयों, बिजली देय आदि सुनिश्चित किए जाएँ और सफल निविदाकार/संभावी खरीदार(ओं) के द्वारा वहन किए जायेंगे।

यहाँ ऊपर विनिर्दिष्ट प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के संबंध में दिया विवरण अधोहस्ताक्षरी की पूर्ण जानकारी और उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिया गया है, हालांकि, उक्त विवरण में किसी त्रुटि, भूल या चूक के लिए वह जिम्मेदार नहीं होगा।

महत्वपूर्ण निबंधन व शर्तें

1. नीलामी बिक्री के निबंधन व शर्तें वेबसाइट/पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net या https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html पर उपलब्ध हैं।
2. नीलामी वेबसाइट https://kotakbank.auctiontiger.net पर केवल "ऑनलाइन इलैक्ट्रोनिक निविदाकरण" के माध्यम से प्रत्येक 5 मिनट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ दिनांक **23.02.2024** को पूर्वा. 11:00 से दोपहर 12:00 तक आयोजित की जायेगी। नीलामी के लिए रखी संपत्ति भौतिक कब्जे के तहत है।
3. मेसर्स ई-प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड-ऑक्शन टाईगर, बी-704, वॉल स्ट्रीट-II, ओरियेन्ट क्लब के सामने, निकट गुजरात कालेज, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006, गुजरात (भारत) को संपर्क नं. +91-79-68136837/880/881/842, श्री राम शर्मा- 8000023297 और 9978591888 और support@auctiontiger.net/ramprasad@auctiontiger.net
4. इच्छुक निविदाकार नीलामी विवरण के लिए कोटक बैंक की वेबसाइट- https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देख सकते हैं।
5. नीलामी बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए निविदाकारों को पोर्टल https://https://kotakbank.auctiontiger.net देखने की सलाह दी जाती है और उक्त निबंधन व शर्तें निविदाकरण प्रक्रिया में भाग ले रहे सभी निविदाकारों पर बाध्य होंगे। साथ ही निविदा केवाईसी दस्तावेजों के साथ पोर्टल https://kotakbank.auctiontiger.net पर ऑनलाइन दिनांक **22.02.2024** तक जमा करनी होंगे और इनकी प्रति ईमेल से singh.prabhjot@kotak.com पर भेजी जाए।
6. संभावी निविदाकार उपरोक्त संपर्क नंबरों से मैसर्स ई-प्रक्योरमेंट टैक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाईगर) से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
7. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) **खाता सं. 8411307138, कोटक महिन्द्रा बैंक लि. खाता ई-नीलामी, मलाड (ईस्ट) शाखा, मुंबई, आईएफएससी कोड: में** आरटीजीएस/एनईएफटी/निधि अंतरण के माध्यम से **22.02.2024** समय अप. 4:00 तक या इससे पूर्व जमा की जाए। ईएमडी राशि जमा किए बिना जमा कोई भी निविदा स्वतः निरस्त हो जायेगी। प्रस्तावित निविदाकार द्वारा जमा ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं होगा।
8. जमा किया जाने वाले बोली मूल्य आरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए और बोली प्रक्रिया के दौरान निविदा जमा करने वाले निविदाकार रु. 10,00,000/- (रुपये दस लाख मात्र) के गुणक में अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे।
9. सफल निविदाकार को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही समाप्ति पर तत्काल या ई-नीलामी के दिन को व्यवसायिक अवधि समाप्त होने की अवस्था में अगले कार्य दिवस को उपर्युक्त निर्धारित मोड से उच्चतम बोली राशि की 25% राशि (पहले ही जमा ईएमडी को शामिल करते हुए) जमा करनी होगी। उच्चतम बोली राशि की शेष 75% राशि सफल निविदाकार को बिक्री की स्वीकृत/पुष्टि दिए जाने की तारीख से 15 दिनों के अंदर या सहमत समयावधि में जमा करनी होगी।
10. उपरोक्त निर्धारित अवधि के अंदर समस्त बिक्री राशि प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और इसके बाद बिक्री पूर्ण हो जायेगी और इसके बाद कोटक बैंक किसी दावे पर कोई विचार नहीं करेगा।
11. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण और पूर्व सूचना दिए किसी भी चरण में किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने/बिक्री को स्थगित/निरस्त करने/ बिक्री के किसी निबंधन और शर्त को संशोधित करने का अधिकार होगा।
12. सफल निविदाकार/खरीदार के नाम में स्वामित्व हस्तांतरण आदि के लिए देय पंजीकरण प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी और करों आदि सहित सभी प्रभार/बकाया खरीदार को वहन करने होंगे।
13. असफल निविदाकारों की ईएमडी राशि उन्हें तीन कार्य दिवसों में कोटक बैंक द्वारा वापस कर दी जायेगी।
14. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194-ए के अनुसार कुल बिक्री राशि पर लागू दर से कर भुगतेय होगा और कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, नीलामी के लिए रखी संपत्ति के बंधककर्ता और मालिक के पक्ष में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 9(1) के तहत सांविधिक नोटिस

मुख्य कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को एतद्द्वारा अद्यतन लागू ब्याज और प्रासंगिक व्ययों के साथ उपरोक्त राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व जमा करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा उपरोक्त संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और देय बकाया यदि कोई हो, की ब्याज व लागत सहित वसूली की जायेगी और यह नोटिस भी यहाँ उल्लिखित कर्जदार/जमानती और बंधककर्ता को एक नोटिस माना जाए।

संपत्ति के संबंध में अन्य किसी विवरण के लिए कृपया श्री प्रभजोत सिंह-8860603853/ श्री चित्रेश - 9205083582 को संपर्क करें।

कर्जदार/जमानतियों को यह भी नोटिस दिया जाता है कि यदि ई-नीलामी की तिथि से पूर्व बकाया का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है तो नीलामी कार्यवाही की जायेगी।

कृपया यह भी नोट किया जाए कि अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित नीलामी नोटिस में कोई विसंगति/असंगतता होने की अवस्था में अंग्रेजी में प्रकाशित नोटिस की विषय-वस्तु मान्य होगी।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 03 फरवरी, 2024

कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
प्राधिकृत अधिकारी

LIC HFL
LIC HOUSING FINANCE LTD.

एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एससीओ 2445-2446, सेक्टर 22-सी, चण्डीगढ़, संघ क्षेत्र-160022

ई-नीलामी बिक्री सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत एल.आई.सी. हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/बंधककर्ताओं को कथित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचना जारी की थी। किन्तु, कर्जदार/बंधककर्ता कथित बकाया राशि को चुकाने में विफल रहे, अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

क्र. सं.	ऋण सं./कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का पता तथा फ्लैट क्षेत्रफल/भूमि का यूडीएस	मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य (रु.) में जमा धरोहर राशि संविदा वृद्धि राशि	बैंक विवरण (जिसमें ईएमडी हस्तान्तरित की जानी है)
1.	ऋण सं. : 14015006725 कर्जदार : सुश्री शकुन्तला एवं श्री बलवान सिंह	मकान नं. 817, वार्ड नं. 13, गांधी नगर, गन्नौर मंडी, गढ़ी झालरा रोड, गन्नौर, सोनीपत, हरियाणा कारपेट एरिया : 75.00 वर्ग गज	12.04.2021	रु. 6,00,000/- रु. 60,000/- रु. 50,000/-	लाभार्थी का नाम : एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, खाता सं. **HFLENOCD-KR06725**; आईएफएससी कोड : **UTIB0CCH274** लाभार्थी शाखा का नाम : एक्सिस बैंक, केन्द्रीकृत कलेक्शन हब

ई-नीलामी की वेबसाइट	https://www.auctionbazaar.com
सम्पत्ति तथा दस्तावेज के निरीक्षण की तिथि एवं समय	06.03.2024 को 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.
ऑनलाइन मोड में ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	06.03.2024 को 3:00 बजे अप.
ई-नीलामी की तिथि	07.03.2024 को 12:00 बजे अप. से 3:00 बजे अप.

उक्त संपत्तियों/आस्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सूचना के आगे (सरफैसी, अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार) एलआईसीएचएफएल **"जैसा है जहां है आधार"** और **"जो है वही है आधार"** पर उक्त संपत्तियों को खरीदने के लिए ऑनलाइन मोड में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ते

1. सम्पत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी और यह बिक्री प्रतिभूत लेनदार के रूप में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पुष्टि के अध्यधीन होगी। सम्पत्ति **"जैसा है जहां है", "जो है वही है" "और आश्रय रहित"** आधार पर बेची जायेगी।
2. ई-नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स आर्का ईमार्ट प्रा.लि. के माध्यम से वेब पोर्टल **www.auctionbazaar.com** पर आयोजित की जाएगी।
3. ई-नीलामी निविदा दस्तावेज जिसमें ऑनलाइन ई-नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा और ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें शामिल हैं, **www.auctionbazaar.com** पर उपलब्ध हैं।
4. बोलीदाताओं के पास एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए। (इच्छुक बोलीदाता के लिए ई-मेल आईडी आवश्यक है क्योंकि सभी प्रासंगिक जानकारी और आईडी एवं पासवर्ड का आवंटन मैसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा (**Auctionbazaar.com**) ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जा सकता है।
5. संभावित योग्य बोलीदाता **मैसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड,** 7-1-28/1/ए/1, **पार्क एवेन्यू 1, अमीरपेट, सिकंदराबाद तेलंगाना** - 500016 **भारत से वेबसाइट www.auctionbazaar.com, हेल्पलाइन नंबर:** +91-8370969696, **ईमेल-आईडी:- contact@auctionbazaar.com; disposal.north@auctionbazaar.com** पर ई-नीलामी की तिथि तक ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। न तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही मेसर्स आर्का ईमार्ट प्राइवेट लिमिटेड (**Auctionbazaar.com**) को किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या/बिजली विफलता/किसी अन्य तकनीकी चूक/विफलता आदि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, इच्छुक बोलीदाताओं को ऐसी आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि वे ई-नीलामी कार्यक्रम में सफलतापूर्वक भाग लेने के लिए तकनीकी रूप से पर्याप्त पावर बैक-अप आदि से सुसज्जित रहें।
6. जमा धरोहर राशि (ईएमडी) आरटीजीएस/एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से **चालू खाता संख्या: HFLENOCDKR06725; बैंक का नाम: एक्सिस बैंक, सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन हब, लाभार्थी का नाम: एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल), आईएफएससी कोड - "UTIB0CCH274"** में जमा किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड ड्राफ्ट ईएमडी के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. आरक्षित मूल्य से कम और/या ईएमडी राशि के बिना बोलियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। बोलीदाता अपनी आगे की बोली राशि को रुपये 1,00,000/- (केवल एक लाख रुपए) के गुणक में सुधार सकते हैं।
8. सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता की घोषणा के तुरंत बाद बोली राशि/बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई धरोहर राशि सहित) का भुगतान करना होगा। सफल बोलीदाता को बोली राशि/बिक्री मूल्य की शेष 75% राशि सफल बोलीदाता की घोषणा से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी, जो लागू टीडीएस के अधीन होगी।
9. यदि सफल बोलीदाता ऊपर बताए अनुसार बिक्री मूल्य जमा करने में विफल रहता है, तो ईएमडी सहित सभी जमा राशि बिना किसी अतिरिक्त सूचना के जब्त कर ली जाएगी। हालाँकि, शेष 75% का भुगतान करने के लिए एक और उचित अवधि के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है और यह अधिकृत अधिकारी के विवेक पर निर्भर होगा।
10. प्रक्रिया के अनुसार ई-नीलामी बंद होने के बाद असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी, विश्वास और रिकॉर्ड के अनुसार बताए गए हैं। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी त्रुटि, गलत बयानी या चूक आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
12. प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या बिक्री को स्थगित/आस्थगित करने/रद्द करने या बिक्री के किसी भी नियम और शर्तों को बिना पूर्व सूचना या कोई कारण बताए संशोधित करने का पूर्ण अधिकार और विवेक है।
13. बोलीदाताओं को संपत्ति पर शुल्क/ऋणभारों के संबंध में विवेकपूर्ण पूछताछ करनी चाहिए और अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति के स्वामित्व, सीमा, गुणवत्ता के बारे में खुद को संतुष्ट करना चाहिए। ऑनलाइन बोली जमा करने के बाद शुल्क, संपत्ति पर ऋणभार और किसी अन्य मामले आदि के संबंध में किसी भी प्रकृति का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
14. संपत्ति की बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क सहित कोई भी बकाया, देयता, कर, शुल्क, चाहे वैधानिक हो या अन्यथा, केवल क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, ऊपर दिए गए नंबरों पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एलआईसी एचएफएल) के अधिकारी श्री रजत जैन, मोबाइल नंबर 8567908369 से संपर्क करें।
15. बिक्री प्रमाणपत्र पूरी बिक्री आय की वसूली के बाद जारी किया जाएगा और अचल संपत्ति का कब्जा 15 दिनों के बाद, बिक्री प्रमाणपत्र के पंजीकरण (यदि आवश्यक हो) के साथ प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति और पुष्टि के बाद दिया जाएगा। इसके अलावा, बिक्री प्रमाणपत्र केवल खरीददारों के नाम पर और किसी अन्य नाम से जारी नहीं किया जाएगा।
16. कर्जदार/गारंटर को सरफेसी नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत वैधानिक बिक्री नोटिस दिया जाता है और बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी।
17. नीलामी सूचना वेबसाइट -**https://www.auctionbazaar.com/** पर भी देखी जा सकती है।

यह सूचना सरफेसी अधिनियम और उसके तहत निर्मित नियमों के अंतर्गत कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता के लिए 30 दिवसीय वैधानिक सूचना भी होगी

दिनांक: 02.02.2024 स्थान: चण्डीगढ़ प्राधिकृत अधिकारी